

कराधान प्रणाली (Taxation Syestem):

5.0. कर, प्रत्यक्ष लाभ की उम्मीद किए बिना सरकार को किए गए अनिवार्य भुगतान हैं। करों में व्यापक शक्ति शामिल है।

1. एक कर उन नागरिकों द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है जो इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए, कर का भुगतान करने से इनकार करना दंडनीय अपराध है।

2. कर दाताओं और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच कोई प्रत्यक्ष, क्विड समर्थक नहीं है। दूसरे शब्दों में, करदाता भुगतान किए गए करों के विरुद्ध पारस्परिक लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

3. राष्ट्र के सामान्य हित में सरकार द्वारा किए गए सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए एक कर लगाया जाता है। यह सरकार द्वारा समुदाय को एक अप्रत्यक्ष सेवा के लिए भुगतान किया जाना है।

4. एक कर नियमित रूप से और समय-समय पर कर अधिकारी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देय होता है।

5.1. कराधान के सिद्धांत(Principle of Taxation):

मूल अवधारणाएं जिनके द्वारा एक सरकार को एक समान कराधान व्यवस्था शासन को डिजाइन करने और लागू करने के लिये निर्देशित किया जाता है, इनमें आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक राजस्व उत्पन्न करने के लिए करों की पर्याप्तता एवम समानता होनी चाहिए।

एडम स्मिथ कहते हैं कि समानता से हमारा मतलब यह नहीं है कि लोग सरकार को करों के हिसाब से समान राशि का भुगतान करें। समानता से तात्पर्य बलिदान की समानता से है, अर्थात् लोगों को अपनी आय के अनुपात में करों का भुगतान करना चाहिए। यह सिद्धांत प्रगतिशील कराधान की ओर इशारा करता है।

कर दाताओं के बीच कर बोझ के वितरण हेतु हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिये -

(1) यह कि करों को भुगतान, व्यक्ति की कर भुगतान करने की क्षमता पर आधारित होना चाहिए जिसे भुगतान क्षमता सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

(2) लाभ का सिद्धांत यह विचार है कि व्यक्तिगत गतिविधियों और सरकारी गतिविधियों से मिलने वाले लाभों के बीच कुछ समानता होनी चाहिए। विभिन्न लाभ सिद्धांत राजनीतिक दबाव, लक्ष्य और सरकार की कर नीति को निर्देशित कर सकते हैं।

5.1.1. कराधान में समानता के सिद्धांत:

कराधान में समानता के सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो समानता के अनुसार होना चाहिए। कर सिद्धांत को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. ऊर्ध्वाधर समानता सिद्धांत :

यह सिद्धांत मानता है कि उच्च आय वाले लोगों को अधिक करों का भुगतान करना चाहिए जैसे कि उच्च आय के लिए सीमांत कर दरों में वृद्धि का प्रावधान किया जा सकता है।

2.क्षैतिज समानता सिद्धांत: क्षैतिज समानता सिद्धांत यह मानता है कि एक ही या समान पदों वाले व्यक्ति एक ही कर देयता के अधीन होंगे। व्यवहार में समानता सिद्धांत की अक्सर जानबूझकर और अनजाने में अवहेलना होती है। जानबूझकर उल्लंघनों को आमतौर पर आर्थिक नीतिओ जैसे- किसानों, घर के मालिकों को दिए गए कर लाभ की तुलना में राजनीति से अधिक प्रेरित किया जाता है।

5.1.2. भुगतान क्षमता का सिद्धांत:

भुगतान क्षमता के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि सभी प्रासंगिक व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, कुल कर बोझ को इसे वहन करने की क्षमता के अनुसार व्यक्तियों के बीच वितरित किया जाएगा । इस दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त कर व्यक्तिगत लेवी आय, निवल मूल्य, खपत, और उत्तराधिकार कर हैं।

ऐतिहासिक रूप से आम सहमति थी कि आय, भुगतान करने की क्षमता का सबसे अच्छा संकेतक है। बचत के प्रति उपभोग-आधारित कराधान के आधुनिक दृष्टिकोण (आय कर की बचत के विरुद्ध भेदभाव), उपभोग-आधारित करों की सादगी और जीवन भर भुगतान करने की किसी व्यक्ति की क्षमता के माप के रूप में उपभोग की श्रेष्ठता पर आधारित होती है। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि धन ,भुगतान करने की क्षमता का एक अच्छा उपाय प्रदान करता है क्योंकि संपत्ति कुछ हद

तक संतुष्टि (शक्ति) और कर क्षमता है, भले ही वे कोई ठोस आय उत्पन्न नहीं करते हैं। GST, (उत्पाद शुल्क, बिक्री या टर्नओवर करों) जैसे अप्रत्यक्ष करों को क्षमता से केवल एक सीमित सीमा तक भोजन जैसी आवश्यकताओं को छूट देकर या अत्यावश्यकता के अनुसार, कर दरों को अलग करके मानदंड के लिए अनुकूलित किया जा सकता है ।
